भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2830
08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

सोलापुर में एनटीपीसी में नौकरियां

2830. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एनटीपीसी सोलापुर द्वारा 2014 और 2016 के समझौतों के अनुसार प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार से एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) किस तरीके से मंत्रालय ने परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगार देने के बजाय मौद्रिक मुआवजे की पेशकश करते हुए गैर-परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को स्थायी पदों पर नियुक्त करने की एनटीपीसी के कार्य को कैसे उचित ठहराया है;

(घ) परियोजना प्रभावित परिवारों को वादा किए गए रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और मंत्रालय किस तरीके से कुशल कारीगरों की शिकायतों का समाधान करेगा जो मौद्रिक मुआवजे की तुलना में स्थायी रोजगार को प्राथमिकता देते हैं; और

(ङ) सोलापुर एनटीपीसी में परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार की वर्तमान स्थिति और परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार नीतियों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए/प्रयुक्त तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : एनटीपीसी सोलापुर के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रावधानों के लिए राज्य पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और एनटीपीसी के बीच वर्ष 2016 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनटीपीसी और एसआरए के बीच करार के खंड-8 के अनुसार, "यदि परियोजना में कोई पद उपलब्ध नहीं है या परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) स्वयं रोजगार का विकल्प नहीं चुनता है या यदि पीएपी किसी भी पद के लिए अयोग्य पाया जाता है,

तो रोजगार के बदले में, एनटीपीसी ऐसे परियोजना प्रभावित परिवार को 5.00 लाख रुपये (केवल पांच लाख रुपये) का एकमुश्त मुआवजा देगा।"

संयंत्र की अत्याधुनिक तकनीक को देखते हुए, एनटीपीसी में कामगारों को सीधे रोजगार देने की संभावना की परिकल्पना नहीं है। तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड ने रोजगार के बदले में उसी राशि के वितरण के लिए राज्य प्रशासन को 20 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई।

(ग) से (ङ) : एनटीपीसी लिमिटेड, जो विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक "महारत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, एक खुली और पारदर्शी केंद्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करता है और एनटीपीसी के साथ प्रत्यक्ष रोजगार के लिए कोई भी भर्ती किसी संयंत्र स्तर पर नहीं की जा रही है। तथापि, आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना स्तर पर अनुबंध एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध आधारित नौकरियां प्रदान की जाती हैं।

परियोजना प्रभावित परिवारों से आने वाले कुशल कारीगरों/व्यक्तियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न अनुबंधों में उपयुक्त रोजगार के अवसर मिलते हैं। वर्तमान में लगभग 251 परियोजना प्रभावित व्यक्ति अनुबंध एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी परियोजना प्रभावित परिवारों के माध्यम से वाहन किराये पर लेने, परियोजना प्रभावित परिवारों की सोसाइटियों के माध्यम से फुटकर अनुबंध कार्य तथा एनटीपीसी टाउनशिप में परियोजना प्रभावित परिवारों को दुकान आवंटन जैसी गतिविधियों में परियोजना प्रभावित परिवारों को अवसर प्रदान करता है।

****